हरियाणा तालाब विकास, सुरक्षा तथा संरक्षण तालाब जल तथा एस टी पी उपचारप्रवाही उपयोग प्राधिकरण विधेयक

(हरियाणा विधान सभा में पेश किया जाना है)

तालाब विकास, सुरक्षा तथा संरक्षण, तालाब जल तथा एस टी पी प्रवाही उपयोग प्राधिकरण की स्थापना तथा उससे संबन्धित या उससे आनुशगिंक अन्य मामलो के लिए उपबन्ध करने हेतु विधेयक;

चूंकि, शीर्ष न्यायालय ने पहले ही आदेश दिये है कि जल अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा जीवन के अधिकार का भाग प्रत्याभूत किया है; चूंकि, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण तथा जनसंख्या विस्फोट के कारण तालाबो को घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि भूमि में उपयोग में परिवर्तित किया जा रहा है।

चूंकि, राज्य में बहुत से तालाब हैं जो कि भू–पृश्ठ जल, भू–जल संवर्धन, सिचाई, घरेलू तथा पेय जल तथा ग्रामीण उद्योगो का परम्परागत स्रोत है। इन तालाबों को विभिन्न सरकारी विभागों जैसे कि, सिंचाई, ग्रामीण विकास तथा शहरी स्थानीय निकायों इत्यादि द्वारा प्रबन्धित, सुरक्षित, संरक्षित तथा कायाकल्पित किया जाता है। चूंकि, बहुत से तालाब अतिक्रमण, विनाश या किसी अन्य कारणों के कारण गैर–क्रियाशील हो गए है।

चूंकि, तालाबों का ऐसा अतिक्रमण, विनाश तथा भू–जल का तेजी से निःशेषण जल की घोर कमी का उदाहरण है तथा उसके द्वारा जलचर वनस्पति तथा जीव जन्तु प्रभावित होने के ईलावा सिंचाई के लिए जल की स्थानीय उपलब्धता प्रभावित होती है तथा तदनुसार इसे एक एकल (अलग) प्राधिकरण द्वारा तालाबो की सुरक्षा, संरक्षण, विकास, पुनःविकास तथा कायाकल्प करने की तत्काल आवश्यकता है चूंकि, ये तालाब समाज के लिए सामाजिक–आर्थिक संबद्धता है, उचित सांस्कृतिक आकर्षण तथा उपयुक्त तकनीकी विशेषज्ञता सहित उनके अस्तिव का जीर्णोद्वार करने की आवश्यता है।

चूंकि, जल स्रोत सम्पूर्ण राज्य में कम हो रहे है, इसलिए नए तालाबों का निर्माण करने की भी तत्काल आवश्यकता है। और, अब, इसलिए, तालाबों के निकटवर्ती नीचले क्षेत्रों मे बाढ़ के परिणामिक तालाब के जल का विकास, सुरक्षा, कायाकल्प, संरक्षण तथा प्रबन्धन, उपयोग तथा सिंचाई के प्रयोजन के लिए मलजल उपचार संयन्त्रों के उपचारित बहिःस्राव के उपयोग के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक शक्तियों तथा कार्यों वाला तालाब विकास, सुरक्षा तथा संरक्षण, तालाब जल तथा एस टी पी उपचार बहिःस्राव उपयोग प्राधिकरण की स्थापना करने के लिए उपबन्ध करना समीचीन है जिससें भू–जल निःशेषण तथा उससे सम्बन्धित या उससे आनुषंगिक अन्य मामलों के दबाव को कम हो सके। केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के उपबन्धों के अनुसार सिंचाई (जल की श्रेणी–ई) के लिए नामित बेहतर उपयोग का जल गुण मापदण्ड, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा यथा विहित सिंचाई प्रयोग के लिए साधारण प्रर्यावरण मानक तालाब जल गुण को नियन्त्रित करेगा।

यह भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमंडल द्वारा निम्न अनुसार अधिनियमित होः–

अध्याय–1

प्रारम्भिक

1. संक्षित नाम, प्रारम्भ तथा लागूकरण–

(1) यह अधिनियम –– तालाब विकास, सुरक्षा तथा संरक्षण तालाब जल तथा एस टी पी उपचार प्रवाही उपयोग प्राधिकरण अधिनियम ––––– कहा जा सकता है। यह ऐसी तिथि से लागू होगा जो सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे तथा अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिए विभिन्न तिथियां नियत की जा सकती है।

(2) यह अधिसूचित वन क्षेत्रो से बाहर स्थित हरियाणा राज्य में धारा 2 के पैरा–"छ" यथा परिभाषित सभी तालाबों को लागू होगा। यह 0.5 एकड़ से कम क्षेत्र वाले तालाबों को लागू नहीं होता है।

2. परिभाषाएं –

(1) इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षि न होंः–

(क) "प्राधिकरण" से अभिप्राय है, हरियाणा तालाब विकास, सुरक्षा तथा संरक्षण तालाब जल तथा एस टी पी उपचार प्रवाही उपयोग प्राधिकरण;

(ख) "मुख्य कार्यकारी अधिकारी" से अभिप्राय है, धारा 8 के अधीन नियुक्त प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी;

(ग) "जिला तालाब प्रबन्धन अधिकारी" से अभिप्राय है, धारा 10 के अधीन सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकरण का कोई अधिकारी;

(घ) "सरकार" से अभिप्राय है, हरियाणा सरकार;

(ड़) "ग्राम पंचायत" से अभिप्राय है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अधीन ग्राम स्तर पर गठित पंचायत;

(च) "उद्योग" में शामिल है, कोई क्रिया या प्रक्रिया या उपचार तथा निपटान प्राणाली, जिसमे जल या कोई अन्य द्रव उपयोग किया जाता हो या मलजल बहिःस्राव या व्यवसाय बहिःस्राव उत्पन्न होता है, किन्तु इसमें कोई जल विद्युत इकाई शामिल नहीं है;

(छ) "तालाब" में शामिल है, 0.5 एकड़ या अधिक क्षेत्र वाला तालाब (टैंक) या झील या कोई अन्य आंतरिक जल निकाय, चाहे उसमे पानी हो या नहीं को ध्यान में रखे बिना, किंतु राजस्व रिकार्ड मे तालाब, टैंक के रूप में या किसी अन्य नाम से वर्णित तथा इसमे मुख्य फिडर प्रवेशिका तथा अन्य प्रेविशिकाओं, बाधों, बधारों, नहरो इत्यादि के स्रवण–क्षेत्र शामिल हैं किन्तु इसमें सरकार द्वारा अधिसूचित आर्द्र भूमियां शामिल नहीं है;

(ज) "भू–दृश्य" में शामिल है, सभी प्रकार के वृक्ष, झाड़िया, घास चाहे वे प्राकृतिक रूप से उगी हो या सौन्दर्य महत्व तथा प्राकृतिक सुन्दरता को

बढाने के लिए तालाब जल निकायों में तथा उसके चारों ओर लगायी गई हो;

(झ) "एस टी पी" से अभिप्राय है, मलजल उपचार संयत्र;

(ञ) "भू–पृष्ठ जल" में शामिल है, उपरोक्त यथा परिभाषित तालाबों की भूमि पर पाया जाने वाला जल;

(ट) "नियम" से अभिप्राय है, इस अधिनियम की धारा 57 के अधीन बनाए गए नियम;

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हे हरियाणा राज्य के अन्य अधिनियमों या भारत सरकार के अधिनियमों जहां हरियाणा राज्य के अन्य अधिनियमों वे परिभाषित नहीं है, में उन्हे दिया गया है,

अध्याय– II

हरियाणा तालाब विकास, सुरक्षा तथा संरक्षण, तालाब जल तथा एस टी पी उपचार प्रवाही उपयोग प्राधिकरण अधिनियम, 2017

3. प्राधिकरण का गठनः–

(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि के यथा शिघ्र बाद सरकार हरियाणा तालाब विकास, सुरक्षा तथा संरक्षण, तालाब जल तथा एस टी पी उपचार प्रवाही उपयोग प्राधिकरण नामक प्राधिकरण गठित करेगी।

(2) प्राधिकरण सम्पति धारण करने के लिए इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन शक्तियों सहित शाश्वत उतराधिकार तथा समान्य मुद्रा सहित पूर्वोक्त नाम का एक निगमित निकाय होगा तथा उक्त नाम से वाद होगा या किया जाएगा।

(3) हरियाणा तालाब विकास, सुरक्षा तथा संरक्षण, तालाब जल तथा एस टी पी उपचार प्रवाही उपयोग प्राधिकरण में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थातः–

(क)	मुख्यमन्त्री/मन्त्री, सिचाई तथा जल संसाधन, हरियाणा सरकार	अध्यक्ष
(ख)	मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार	उपाध्यक्ष
(ग)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव हरियाणा सरकार, वित्त विभाग	सदस्य
(घ)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव हरियाणा सरकार, सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग	सदस्य
(ड़)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव हरियाणा सरकार, पंचायती राज विभाग	सदस्य
(च)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव हरियाणा सरकार, ग्रामिण विकास विभाग	सदस्य
(छ)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव हरियाणा सरकार, शहरी विकास विभाग	सदस्य
(ज)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव हरियाणा सरकार, मत्स्य विभाग	सदस्य
(झ)	मुख्य अभिंयता, सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग, हरियाणा सरकार	सदस्य

(ञ)	मुख्य अभिंयता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, हरियाणा सरकार	सदस्य
(ट)	महानिदेशक, कृषि विभाग, हरियाणा सरकार	सदस्य
(ठ)	प्रधान मुख्य बन संरक्षक, हरियाणा सरकार	सदस्य
(ड)	पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी या तालाब विकास के क्षेत्र में विशेषज्ञों, सामाजिक कर्यकर्ताओं में से चार गैर–सरकारी सदस्य जिसमें से कम से कम एक महिला होगी तथा एक अनुसूचित जाति/जन जाति से सम्बन्धित होगा	गैर–सरकारी सदस्य
(ढ़)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य सचिव (पदेन, प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी)

4. जिला परामर्श तथा मानीटरिंग समिति समय–समय पर जिला स्तर पर प्राधिकरण के कार्यो का मानीटर करेगी। प्रत्येक जिले में परामर्श तथा मानीटरिगं समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थातः–

(क)	सम्बन्धित जिले का जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त	अध्यक्ष
(ख)	अपर उपायुक्त एवं सी ई ओ (डी आर डीए)	सदस्य
(ग)	अधीक्षक अभियन्ता/कार्यकारी अधिकारी, सिंचाई विभाग, सम्बन्धित जिले का प्रभारी	सदस्य

(घ)	अधीकक्ष अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग	सदस्य
(ड़)	जिला विकास तथा पंचायती अधिकारी	सदस्य
(च)	उप निदेशक, कृषि/मृदा संरक्षण विभाग	सदस्य
(छ)	जिला बागवानी अधिकारी	सदस्य
(ज)	जिला वन अधिकारी	सदस्य
(झ)	जिला मत्स्य अधिकारी	सदस्य
(ञ)	जिला मजिस्ट्रेट अधिकारी नामांकित दो गैर–सरकारी सदस्य जिनमें से एक व्यक्ति पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी या तालाब विकास तथा संरक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञों/सामाजिक कार्यकर्ताओं मे से सदस्य होगा	सदस्य
(ट)	हरियाणा तालाब विकास, सुरक्षा तथा संरक्षण, तालाब जल तथा एस टी पी उपचार प्रवाही उपयोग प्राधिकरण की धारा 10 में यथा परिभाषित जिला तालाब प्रबन्धन अधिकारी	संयोजक

5. सरकार राज्य के गैर–सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की पदाविधि का निर्णय कर सकती है। वे दो पदाविधियों से आगे पुनः– नियुक्ति के लिए पात्र नही होंगे।

6. राज्य के गैर–सरकारी सदस्य ऐसे भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे जो विहित किए जांए।

4. प्राधिकरण की बैठकें –

(1) प्राधिकरण छह मास में कम से कम एक बार बैठक करेगा।

(2) अध्यक्ष प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता करेगा या यदि किसी कारण से वह किसी बैठक में हाजिर हाने मे असमर्थ है, उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा।

(3) प्राधिकरण की बैठक के लिए गणपूर्ति कुल सदस्यों की एक तिहाई होगी।

(4) इस अधिनियम द्वारा या के अधीन अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबन्धित है उसके सिवाये, प्राधिकरण की बैठक में कार बार के संचालन के लिए पक्रिया ऐसी होगी जो नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(5) जिला परामर्श तथा मानीटरिगं समिति छह मास में एक बार बैठक करेगी।

5. प्रधिकरण के कार्य–

प्राधिकरण के कार्य ऐसे होगें जो इस अधिनियमों के अधीन नियमों में विहित किए जाएंगे जिसमे तालाबो के विकास के लिए सर्वेक्षण तथा अध्ययन, विनियमन, नियन्त्रण, सुरक्षा, सुधार, सम्पोषण, जीर्णाद्वार, निमार्ण, पर्यावरणीय संघात निर्धारण तथा आयोजन, समेकित योजना तालाबो का अतिक्रमण हटाना, पशुओ, या प्रर्यटन के लिए तालाबो के पानी का प्रयोग तालाब जल तथा उसका उपचार जहां कही अपेक्षित हो का उपयोग तथा अवसंरचना विकसित करते हुए जैसे कि पम्पिगं मशीनरी, चैनल तथा पाईप प्रणाली द्वारा सिंचाई के प्रयोजन के लिए मलजल संयन्त्र प्रवाही का उपयोग शामिल है। अधिसूचित आर्द्र भूमी से सम्बन्धित कतिपय कार्य प्राधिकरण द्वारा किए जा सकते हैं। कोई अन्य प्रयोग नियमों में विहित किया जा सकता है।

6. प्रधिकरण की शक्तियां –

प्राधिकरण की शक्तियां ऐसी होंगी जो नियमों में विहित की जाएं जिसमें प्रवेश करने, अनुदान, दान अंशदान तथा किराया प्राप्त कारने, फीसे या प्रचार उद्गृहीत करने, परियोजनाओं का अनुमोदन प्रदान करने निर्देश देने, प्राधिकरण के किन्हीं कार्यो को पूरा करना नियंत्रित करना शामिल है।

7. अध्यक्ष की शक्तियां –

अध्यक्ष प्राधिकरण का होगा तथा :–

(क) प्राधिकरण की बैठकें बुलाएगा, अध्यक्षता तथा संचालन करेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता तथा संचालन करेगा।

(ख) इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन उसको प्रदत्त सभी कर्तव्यों का निर्वहन करेगा तथा सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा।

8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी –

(1) सिविल इंजीनियरिगं की योग्यता सहित सिंचाई तथा जल संसाधन या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी के विभागाध्यक्ष के पद तथा वेतनमान से सेवारत या सेवानवृत्त कोई अधिकारी प्राधिकरण का मुख्य कर्यकारी अधिकारी होगा।

(2) प्राधिकरण तथा अध्यक्ष की साधारण शक्तियों के अध्यधीन, इस अधिनियम के उपबन्धों का कार्यन्वित करने के लिए या तत्समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन प्राधिकरण को अधिरोपित कर्तव्यों या प्रदत्त सभी शक्तियों के कार्यान्वयन के लिए सभी शक्तियां मुख्य कार्यकारी अधिकारी में निहित होंगी तथा जो –

(क) इस अधिनियम या उसके नियमों द्वारा के अधीन या तत्समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन उस पर अधिरोपित सभी

कर्तव्यों या पालन तथा उसको प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग भी करेगा;

(ख) प्राधिकरण के संकल्पों को कार्यन्वित भी करेगा

(ग) प्राधिकरण के सभी कार्यो का संचालन भी करेगा;

(घ) प्राधिकरण या सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा सोंपी गई सभी स्कीमों तथा कार्यो को मानीटर निष्पादन भी करेगा ;

(ड) प्राधिकरण द्वारा यथा प्रत्यायोजित प्राधिकरण की निधि में से धनों का आहरण तथा संवितरण भी करेगा;

(च) नियमों द्वारा यथा विहित प्राधिकरण के अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर नियन्त्रण का भी प्रयोग करेगा

(छ) प्राधिकरण की सभी अनुमतियों, आदेशों, निर्णयों, नोटिसों तथा अन्य दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित भी करेगा ;

(ज) सरकार द्वारा यथा विहित ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कार्यो का निर्वहन तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन भी करेगा।

9. प्राधिकरण की संगठनात्मक संरचना –

(1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में, प्राधिकरण में प्राधिकरण के कार्यो के सम्पादन के लिए स्थापना इंजीनियरिंग, लेखा तथा विधिक अनुभाग होंगे।

(2) पद जो प्राधिकरण के कर्यो के निर्वहन के लिए आवश्यक हों सरकार के अनुमोदन से स्वीकृत होंगे। विभिन्न प्रवर्गो की सेवाओं की शर्ते इस अधिनियम के अधीन नियमों में विहित की जाएंगी।

(3) प्राधिकरण के प्रयोग के लिए नियुक्त अधिकारियो तथा अन्य कार्मचारियों की भर्ती का ढ़ग, को भुगतान योग्य वेतन तथा भत्ते तथा सेवा के अन्य निबन्धन तथा शर्ते सरकार के अनुमोदन से प्राधिकरण द्वारा विहित की जाएंगी।

(4) प्राधिकरण अधिकारियों तथा कर्मचारियों की भर्ती कर सकता है या प्रतिनियुक्ति पर या संविदात्मक नियुक्ति या किसी अन्य ढ़ग से लगा सकता है जो प्रधिकरण के कार्यो के निवर्हन के लिए आवश्यक हों।

(5) प्राधिकरण सरकार के अन्य विभागों या किसी अन्य संगठनों से निक्षेप कार्यो के रूप में अपने कार्यो को पूरा कर सकता है।

10. जिला तालाब प्रबन्धन अधिकारी –

(1) जिला तालाब प्रबन्धन अधिकारी प्राधिकारी का अधिकारी होगा या नियमो द्वारा यथा विहित जिला स्तर पर प्रधिकरण द्वारा तैनात ग्रुप–क सेवा का कोई अन्य अधिकारी होगा जो इस अधिनियम के अधीन शक्तियों तथा समय समय पर सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(2) प्राधिकरण तथा अध्यक्ष की साधारण शक्तियों के अध्यधीन, इस अधिनियम के उपबबन्धों का कार्यन्वित करने के लिए या तत्समय लागू किसी अन्य निधि को अधीन जिला स्तर पर प्राधिकरण को अधिरोपित कर्तव्यों या प्रदत्त सभी शक्तियों के कार्यान्वयन के लिए सभी शक्तियों जिला तालाब प्रबन्धन मुख्य कार्यकारी अधिकारियों में निहित होंगी तथा जो –

(क) इस अधिनियम या उसके नियमों द्वारा के अधीन या तत्समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन उस पर अधिरोपित सभी कर्तव्यों या पालन तथा उसको प्रयत्त सभी शक्तियों का प्रयोग भी करेगा ;

(ख) प्राधिकरण के संकल्पों को कार्यन्वित भी करेगा

(ग) जिला स्तर पर प्राधिकरण के सभी कार्यो या संचालन भी करेगा;

(घ) प्राधिकरण या सरकार या जिला स्तर पर किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा सोंपी गई सभी स्कीमों तथा कार्यो को मानीटर निष्पादन भी करेगा ;

(ड़) नियमों द्वारा यथा विहित जिला स्तर पर प्राधिकरण के अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर नियन्त्रण का भी प्रयोग करे

(च) सरकार द्वारा यथा विहित ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कार्यो का निर्वहन तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन भी करेगा।

अध्याय–III

तालाबों की सुरक्षा

11. तालाबों में निषिद्ध कार्य –

तत्समय लागू किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति या संस्था या संगठन (रजिस्ट्रीकृत या अरजिस्ट्रीकृत) या कम्पनी या फर्म या संघ, सरकारी विभाग, निगम या कोई स्थानीय या अन्य प्राधिकरण तथा उनकी और से अभिकर्ता या कर्मचारी या कोई व्यक्तिः–

(1) धारा 5 में वर्णित से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए तालाब का प्रयोग नहीं करेगा ;

(2) प्राधिकरण की अनुमती के बिना तालाब भूमि पर किसी संरचना का निर्माण, किसी तालाब भूमि या उसके भाग का अधिभोग या उपरी प्रवाह तथा या अनुप्रवाह पर तालाबों मे या से जल के अन्तर्वाह या बहिर्वाह के प्राकृतिक या साधारण प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं करेगा।

(3) वाहन का प्रयोग करते हुए या अन्यथा तालाब में तथा के चारों ओर मलबे, नगरपालिका या औद्योगिक ठोस कचरे, कीचड़ या भू–मिट्टी का ढेर नहीं लगाएगा।

(4) प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से तालाब में औद्योगिक बहिःस्राव निर्वहन नहीं करेगा।

(5) प्राधिकरण की अनुमति के बिना तालाब बांध सहित तालाब क्षेत्र के भीतर सड़को, पुलो तथा इसी प्रकार की अन्य संरचना का निर्माण नही करेगा।

(6) प्राधिकरण द्वारा निर्मित अपशिष्ठ बंधरा (वीयर) को उसकी मूल उंचाई से कम करने या ऊपर उठाने या घेरा हटाने, सीम पत्थर या कोई होर्डिग या कोई सूचना–पट्ट हटाने सहिज बांध, अपशिष्ट बांधरा (वीयर) नहीं तोड़ेगा; तथा

(7) कोई अन्य कार्य नही करेगा जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः तालाबों के लिए हानिकारक हैः

परन्तु इस अधिनियम की कोई भी बात प्राधिकरण को समय–समय पर तालाबों के पानी या एस टी पी उपचारित ब्रहीःस्राव के प्रयोगों को पुनः परिभषित करने से नहीं रोकेगीः परन्तु यह और कि प्राधिकरण लोक हित में उपरोक्त निषिद्ध प्रयोगो में से किसी की अनुमति प्रदान कर सकता है।

12. तालाबों की भूमि का स्वामित्व –

तत्समय लागू किसी विधि, दस्तावेज या आदेश में दी गई किसी बात को होते हुए भी, राज्य सरकार के विभिन्न विभागो के तालाबों की भूमी का स्वामित्व प्राधिकरण मे निहित होगाः परन्तु जहां तालाबों की भूमी ग्राम पंचायत के नाम है, तो वह निरन्तर ग्राम पंचायत के नाम रहेगी।

13. प्राधिकरण में निहित तालाबों का निर्माण तथा विकास करना –

(1) किसी विधि, दस्तावेजों या आदेश में दी गई किसी बात के होते हुए भी, राज्य के सभी तालाबों का निर्माण तथा विकास, ऐसे तालाबों मे स्थित निजि सम्पतियों के सिवाए, इस अधिनियम के प्रारम्भ से प्राधिकरण में निहित होगा। कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन नियमों में यथा विहित प्राधिकरण द्वारा दी गई अनुमति के अनुसार से अन्यथा किसी तालाब की सीमाओ के भीतर किसी प्रकार कोई कार्यकलाप या किसी तालाब से किसी उपज या पानी का प्रयोग या प्राप्त नहीं करेगा।

इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण जब तक कोई अनुमति प्रदान नहीं करेगी जब तक उसकी सन्तुष्टि नहीं हो जाती है कि ऐसी अनुमति का तालाब के निर्माण तथा विकास पर प्रतिकूल संघात नही होगा।

इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों में दी गई किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए जिसके लिए इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व ऐसी निकासी की सीमा तक तालाब के पानी की निकासी तथा प्रयोग अनुज्ञात कर सकती है जो तालाब के संरक्षण तथा विकास पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले।

(2) यदि वन या पर्यावरण तथा पालिसियां या मार्गदर्शन से सम्बन्धित कोई केन्द्रीय विधि जिसमें जलचर इकोप्रणाली के संरक्षण की राष्ट्रीय योजना के लिए कोई मार्गदर्शन शामिल है केन्द्रीय सरकार द्वारा समय – समय पर जारी किए जाते, तो प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन नियमों में उपबन्ध करके केन्द्रीय विधि द्वारा विहित कार्य करेगी।

(3) किसी अन्य अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण तालाब के निर्माण या विकास के हित में, किसी तालाब के सुरक्षित क्षेत्र या बहाव क्षेत्र के भीतर किसी निर्माण, संरचना या बाधा की किसी अन्य वस्तु को हटाने के लिए ग्राम पंचायत को निदेश दे सकता हैःपरन्तु

कोई भी निर्माण, संरचना या बाधा की कोई अन्य वस्तु जो कोई प्राईवेट सम्पति है जब तक नहीं हटाई जाएगी तब तक–

(I) सम्पति के स्वामी तथा अधियोगी, यदि कोई हो, का सुनवाई का प्रतियुक्त अवसर नहीं दिया गया है;

(II) सम्पति के मालिक को यदि सम्पति वैद्य है, इस प्रकार हटाने के कारण उसको हुई हानियों के लिए मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है।

(4) इस धारा के अधीन मुवावजे की राशि अवधारित करते समय प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से जिला तालाब प्रबन्धन अधिकारी समरूप सम्पति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबन्धित या इस अधिनियम के अधीन नियमों मे यथा विहित तत्समय लागू किसी विधि द्वारा अधिकथित उपबन्धों के अनुसार मुआवजे की राशी अवधारित करेगा।

(5) यदि इस धारा के अधीन मुआवजे का हकदार कोई व्यक्ति मुआवजे की राशी की पर्याप्ति में कोई विवाद है, तो वह जिला तालाब प्रबन्धन अधिकारी के आदेश की तिथि से नब्बे दिन के भितर क्षेत्र पर क्षेत्रिय अधिकारिता रखने वाले न्यायालय में अपील दायर कर सकता है जिसमें सम्पति स्थित है।

14. तालाब सीमाओं तथा सुरक्षित क्षेत्र की घोषणा –

(1) राज्य सरकार राज्य पत्र में अधिसूचना द्वारा या तो उसके पास उपलब्ध सूचना आधार पर स्वप्रेरणा से या प्राधिकरण की सिफारिश पर निम्नलिखित घोषित तथा विनिर्दिष्ट कर सकती है;–

(I) किसी तालाब की सीमाए ; तथा

(II) सुरक्षित क्षेत्र के रूप में

(2) उपधारा (I) के अधीन अधिसूचना से व्यथित कोई व्यक्ति राजपत्र में ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से दो मास के भीतर राज्य के सम्मुख विहित रीति में अपने आक्षेप या सुधार के सम्मुख विहित रीति में अपने आक्षेप या सुधार कर सकता है।

(3) उपधारा (II) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर, राज्य सरकार उपधारा (2) के अधीन उस द्वारा प्राप्त आक्षेपों तथा सुझावों पर विचार करने के बाद या तो उपधारा (I). के अधीन जारी अधिसूचना को वापस ले सकती या संशोधित कर सकती है या आक्षेपों या सुझावों जैसी भी स्थिति हो, अस्वीकार कर सकती है तथा राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

(4) इस धारा के अधीन जारी अधिसूचना तत्समय लागू किसी अन्य हरियाणा सरकार की विधि के होते हुए भी अभिभावी होगी।

15. सुरक्षित क्षेत्र में कर्यालयों का विनियमन –

(1) प्रत्येक नगर के आयोजन प्राधिकरण किसी तालाब वाले किसी क्षेत्र की स्थानिक या विकास योजना तैयार करने से पूर्व प्राधिकरण से परामर्श करेगा तथा तालाब वाले किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में कोई भी स्थानिक या विकास योजना प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना अनुमोदित या लागू नहीं की जाएंगी।

(2) विहित रीति में प्राधिकरण की पूर्ण अनुमति प्राप्त किए बिना सुरक्षित क्षेत्र में कोई भी निर्माण नहीं किया जाएगा।

(3) उप–धारा (1) तथा (2) के उपबन्धों के अध्यधीन, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, या तो उसने पास उपलब्ध सूचना के आधार पर स्वप्रेरणा से या सुरक्षित क्षेत्र में ऐसे अन्य कार्यकलाप विनिर्दिष्ट कर

सकती है जो वह तालाब के निर्माण तथा विकास के लिए समीचीन सम हो, जो विहित रीति में प्राधिकरण केवल पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद निषिद्ध किया जाएगा या किया जाएगा।

(4) प्राधिकरण उप–धारा (2) या (3) के अधीन कोई अनुमति प्रदान नहीं करेगा यदि इसको सन्तुष्टि हो जाती है कि ऐसी अनुमति से तालाब के निर्माण तथा विकास पर कोई प्रतिकूता संघात सम्भव्य है।

16. जब्त करने की शक्ति –

(1) जब विश्वास का कारण है कि धारा 11, 13, 14 तथा 15 के अधीन दण्डनीय अपराध किया गया है, तो किसी ऐसे अपराध का करने में प्रयुक्त कोई हथियार, औजार, मशीनीरी, यन्त्र, उपकरण, नाव, वाहन या कोई अन्य सामग्री या वस्तु ग्राम पंचायत द्वारा जब्त की जा सकती है। ग्राम सचिव हरियाणा पैचायती राज अधिनियम, 1994 के उपबन्धों के अनुरूप भी इन प्रयोजन के लिए ग्राम पंचायज की सहायता करेगा।

(2) उप–धारा (1) के अधीन किसी सम्पति, वाहन, सामग्री या वस्तु को जब्त करने वाला ग्राम पंचायत चिहन उन पर यह सूचित करते हुए लगाएगी कि उसे इस प्रकार जब्त की गई है तथा यथाशीघ्र अपराध का विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को ऐसी जब्ती की रिपोर्ट करेगी जिसके मद्दे जब्ती की गई है। जब्ती की प्रक्रियां दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 मे यथा विनिर्दिष्ट कह जाएगी। परन्तु जहां जब्त सम्पति, वाहन, सामग्री या वस्तु केन्द्रीय या सरकार या स्थानिय या अन्य प्राधिकरण से सम्बन्धित मानी जाती है या यदि अपराधी अज्ञात है, तो ग्राम पंचायत जिला तालाब प्रबन्धन अधिकारी को रिपोर्ट करेगा।

17. धारा 16 के अधीन जब्त सम्पति मुक्त करने की शक्ति –

जहां जब्त की गई सम्पति ऐसी है कि उसे मजिस्ट्रेट या ग्रामपंचायत के समक्ष सुविधाजनक रूप से प्रस्तुत नहीं की जा सकती, अपराध का विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के सम्मुख इस प्रकार मुक्त सम्पति को प्रस्तुत करने के लिए स्वामी के बैंक गारंटी तथा बन्धन्पत्र निष्पादित करने पर उसके स्वामी को ग्राम पंचायत द्वारा मुक्त की जा सकती है, यदि तथा जब ऐसा अपेक्षित हो, जिसके मद्दे जब्ती की गई है।

18. ग्राम पंचायत द्वारा जब्ती –

(1) धारा 16 के अधीन सम्पति जब्त करने वाली ग्राम पंचायत बिना किसी अयुक्तियुक्त विलम्ब के सम्पति जिला तालाब प्रबन्धन अधिकारी के सम्मुख पेश करेगी।

(2) जब कोई जब्त सम्पति जिला तालाब प्रबन्धन अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत की गई है तथा वह सन्तुष्ट हो जाता है कि धारा 11, 13, 14 तथा 15 के अधीन निषिद्ध अपराध में ऐसी सम्पति को प्रयोग किया गया है, जो जिला तालाब प्रबन्धन अधिकारी, चाहे ऐसे अपराध को करने के लिए कोई अभियोजन संस्थित किया गया है या नहीं, इस प्रकार जब्त सम्पति की जब्ती के आदेश कर सकता है।

(3) जहां उपधारा (2) के अधीन जब्ती के आदेश पारित करने वाले जिला तालाब प्रबन्धन अधिकारी की राय है कि ऐसा करना लोकहित में समीचीन है, तो वह जब्त सम्पति या उसके किसी भाग को सार्वजनिक नीलामी में बेचे जाने के आदेश दे सकता है।

(4) जहां कोई जब्त सम्पति पूर्वोक्त के अनुसार बेची गई है, तो ऐसी किसी निलामी के खर्चो या उससे सम्बन्धित अन्य आनुषंगिक खर्चो को काटने के बाद, जहां जब्ती के आदेश उपधारा (2) के अधीन किए गए है, धारा 19 या 20 के अधीन आदेश द्वारा अपास्त या रद्द किए गए है, तो उसके आगम उसके स्वामी या ऐसे व्यक्ति को भुगतान किए जाएंगे

जिससे यह जब्त की गई थी, जैसा ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए।

19. जब्ती से पूर्व कारण बताओ नोटिस जारी करना –

(1) किसी हथियार, औज़ार, मशीनरी, यन्त्र, उपकरण, नाव, वाहन या कोई अन्य सम्पति जब्त करने का कोई भी आदेश ऐसे व्यक्ति को जिससे वह जब्त की गई है लिखित में आदेश देने तथा उसके आक्षेप, यदि कोई हो, को विचारने के सिवाए धारा 18 के अधीन नहीं किया जाएगाः

परन्तु किसी मोटर यान को जब्त करने का कोई भी आदेश उसके रजिस्टर्ड स्वामी को लिखित में नोटिस देने तथा उसके आक्षेप, यदि कोई हो, को विचारने के बाद के सिवाये नहीं किया जाएगा, यदि जिला तालाब में ऐसा करना साध्य है।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी हथियार, औज़ार, मशीनरी, यन्त्र, उपकरण, नाव, वाहन या कोई अन्य सम्पति को जब्त करने का कोई भी आदेश नहीं किया जाएगा यदि हथियार, औज़ार, मशीनरी, यन्त्र, उपकरण, नाव, वाहन या किसी अन्य सम्पति का स्वामी जिला तालाब प्रबन्धन अधिकारी की सन्तुष्टि के लिए यह साबित करता है कि इसे स्वंम स्वामी, उसके ऐंजट, यदि कोई हो, या हथियार, औज़ार, मशीनरी, यन्त्र, उपकरण, नाव, वाहन या किसी अन्य सम्पति के प्रभारी व्यक्ति की जानकारी या मौनाकुलता के बिना प्रयोग किया गया था तथा कि उनमें से प्रत्येक ने ऐसे प्रयोग के विरूद्ध सभी युक्तियुक्त तथा आवश्यक सावधानियां बरती है।

20. पुनरीक्षण –

मुख्य कार्यकारी अधिकारी धारा 18 के अधीन जिला तालाब प्रबन्धन अधिकारी के आदेश की तिथि से तीस दिन की समाप्ति से पूर्व उस आदेश का रिकार्ड स्वप्रेरणा

से मांग सकता है तथा जांच कर सकता है तथा ऐसी जांच कर सकता है या ऐसी जांच करवा सकता है तथा आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझे।

21. अपील –

(1) धारा 18 या धारा 20 के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की उसको सूचना की तिथि से तीस दिन के भीतर क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को अपील कर सकता है जिसमे सम्पति जिसके सम्बन्ध में जब्ती से सम्बन्धित आदेश किए गए हैं तथा न्यायालय अपीलार्थी तथा जिला तालाब प्रबन्धन अधिकारी को सुनवाई का अवसर देने के बाद ऐसे आदेश प्रारित करेगा जो वह अपीलीय आदेश को पुष्ट करने, रूपान्तरित करने या रद्द करने के लिए उचित समझे।

(2) इस धारा के अधीन न्यायालय का आदेश अन्तिम होगा।

22. जब्ती के आदेश का अन्य दण्ड में हस्तक्षेप न करना–

धारा 17 या 18 या 19 के अधीन किसी जब्ती का आदेश किसी दण्ड को देने से नहीं रोकेगा जिसके लिए उससे अभियोजित व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दायी है।

23. जब्त की गई सम्पति यदि सरकार में निहित है –

जब किसी सम्पति की जब्ती के लिए आदेश धारा 17 या धारा 18 या 19 या 20 के अधीन पारित किया गया है तथा ऐसा आदेश ऐसी सम्पति के सम्पूर्ण या किसी भाग के संम्बन्ध में निर्णायक हो गया है, तो ऐसी सम्पति या उसका भाग (या यदि उसे धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन बेच दी गई है उसके विक्रय आगम) जैसी भी स्थिति हो, सभी भरों से मुक्त सरकार में निहित होगी।

24. अतिक्रमण हटाने की शक्ति –

किसी अन्य अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, किसी व्यक्ति को किसी तालाब की भूमि या उसके भाग पर अप्राधिकृत रूप से अधिभोग करने के रूप में पाया जाता है, तो किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो अधिनियम या तत्समय लागू किसी अन्य विधि के किसी अन्य उपबन्धों के अधीन उसके विरूद्ध की जा सकती है, ग्राम पंचायत द्वारा सरसरी तौर पर बेदखल कर सकती है। परन्तु किसी भी व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना इस उपधारा के अधीन बेदखल नहीं किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन पारित बेदखली का प्रत्येक आदेश लिखित में दिया जाएगा तथा ऐसे व्यक्ति की उसकी प्रति देते या सुपर्द करते हुए या रजिस्टर्ड डाक द्वारा उसकी प्रति भेजते हुए या यदि वह उसे प्राप्त करने से इन्कार करता है या तामील से बचता है, तो उसके अधिभोग में सम्पति के प्रमुख स्थान पर उसे चिपकाते हुए या क्षेत्र में विस्तृत प्ररिचालन वाले समाचार पत्र में प्रकाशन द्वारा तालाब की भूमि का अधिप्राधिकृत रूप से अधिभोग करने वाले व्यक्ति को तामील की जाएगी।

(3) तालाब भूमि में उत्पन्न वृक्षों सहित कोई फसल तथा अप्राधिकृत अधिभोगी द्वारा उस पर निर्मित कोई भवन या अन्य निर्माण उपधार (1) में पारित बेदखली के आदेश के तीस दिन के भीतर उस द्वारा नहीं हटाया गया है, तो वह समपहरण के लिए या सरसरी रूप से हटाने के लिए भी दायी होगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन जब्त कोई सम्पति प्राधिकरण में निहित होगी तथा जो ऐसी रीति में उसका निपटान कर सकता है जो वह उचित समझे तथा किसी फसल, वृक्ष, भवन या अन्य निर्माण को हटाने की लागत तथा तालाब को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने के लिए उपगत खर्च बेदखल किए गए व्यक्ति से वसूलीयोग्य होगा मानों वह

भू–राजस्व का कोई बकाया था या किसी अन्य रीति में जो विहित की जाए।

(5) उपधारा (1) के अधीन ग्राम पंचायत ने आदेश व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की तिथि से तीस दिन के भीतर ऐसे आदेश के विरूद्ध तथा ऐसी रीति में जो विहित की जाए जिला तथा सत्र न्यायाधीश को कर सकता है तथा उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश ऐसी अपील में निर्णय के अध्यधीन अन्तिम होगा।

25. गांव स्तर पर तालाब सुरक्षा, तालाब जल तथा उपचारित बहिःस्राव उपयोग समिति का गठन–

(1) यथा विहित गांव तालाब तथा/या मलजल उपचार सयन्त्र, ग्राम पंचायत के सरपंच की अध्यक्षता के अधीन तालाब सुरक्षा तथा तालाब जल तथा एस.टी.पी. उपचारित बहिःस्राव उपयोग समिति अधिनियम के उद्देश्यों को उन्नत करने के लिए गठित की जा सकती है। इस समिति में गांव स्तर के कार्यकर्ता अर्थात गांव जल तथा सफाई समिति (वी.डब्ल्यू.एस. सी) से सदस्य, आशा कार्यकर्ता, स्वयं–सहायता समूह के सदस्य, स्वच्छता दूत, लाभ उठाने वाले किसानों के प्रतिनिधि तथा गांव से अन्य स्वयंसेवक सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होंगे जो उचित समझे जाएं।

(2) जिला मानीटरिंग समिति गांव स्तर तालाब सुरक्षा, तालाब जल तथा उपचारित बहिःस्राव उपयोग समितियों की उपलब्धियों का पुनरीक्षण करेगी। यदि कोई निधियां पूर्वोक्त समिति की सिफारिश पर जारी की जानी अपेक्षित है, तो सिफारिश पूर्वानुमानित लाभों को स्पष्ट करने की स्वीकृति के लिए प्राधिकरण को भेज सकती है।

(3) गांव स्तर तालाब सुरक्षा, तालाब जल तथा उपचारित बहिःस्राव उपयोग समिति पदाधिकारी इस अधिनियम के उद्देश्यों से सम्बन्धित सूचना शिक्षा तथा संचार कार्यकलाप (आई ई सी) कार्यान्वित करेगे जिसके

लिए उपयुक्त पारिश्रमिक इस अधिनियम के अधीन नियमों में प्राधिकरण द्वारा विनिश्चित किया जा सकता है।

अध्याय –IV

शास्तियां तथा प्रक्रिया

26. धारा 11, 15 तथा 24 के उल्लंघन के लिए शास्ति–

किसी अन्य अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, जो कोई धारा 11, 15 तथा 24 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, तो दोषसिद्धि पर नियमों में विहित राशि से अनधिक के कारावास या दोनों के लिए दायी होगा।

27. किसी अधिकारी को बाधा कारित करने के लिए शास्ति–

जो कोई, (1) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन किसी ग्राम पंचायत, जिला तालाब प्रबन्धन अधिकारी, या प्राधिकरण के आदेशों या निदेशों के अधीन करने वाले किसी व्यक्ति या ग्राम पंचायत या जिला तालाब प्रबन्धन अधिकारी को उसकी शक्तियों का प्रयोग करने या उसके कार्यों निर्वहन करने या उसके कर्तव्यों का पालन करने से रोकता है; या (2) प्राधिकरण के किसी कार्यों या सम्पति को क्षति करता है या (3) प्राधिकरण, ग्राम पंचायत या जिला तालाब प्रबन्धन अधिकारी के निर्देशनों द्वारा या के अधीन भूमि में स्थिर किसी स्तम्भ, खम्भे या खूंटे या किसी नोटिस या किसी सूचना को नष्ट करता है, ढहाता है, हटाता है, क्षति पहुंचाता है या बिगाड़ता है या छल–योजित, उत्कीर्ण या क्षेत्र की अन्य बात की दोषसिद्धि पर नियमों में विहित राशि से अनधिक जुर्माने या तीन मास से अनधिक कारावास या दोनों के लिए दायी होगा।

28. तालाब के गैरकानूनी अधिभोग की रिपोर्ट करने में असफलता के लिए शास्ति–

तालाब के गैर कानूनी अधिभोग या तालाब का प्रयोग या रखरखाव तथा सुरक्षा की रिपोर्ट देने की जिम्मेदारी से न्यस्त प्राधिकरण का कोई अधिकारी या सेवक या सरकारी या कोई स्थानीय या अन्य प्राधिकारी होने के नाते ऐसे गैर कानूनी अधिभोग

को हटाने की रिपोर्ट करने या कार्रवाई करने या तालाब का रखरखाव या सुरक्षा करने में असफल रहता है, तो वह नियमों में यथा विहित विभागीय जांच के बाद ऐसी अनुशासनिक शास्ति से या जुर्माने से दण्डित होगा।

29. अनुचित जब्ती के लिए शास्ति–

कोई अधिकारी जो इस अधिनियम के अधीन जब्ती के लिए दायी जब्त करने वाली सम्पति को बहाने से कोई सम्पति उत्पीड़न या अनावश्यक रूप से जब्त करता है, तो वह सुसंगत अनुशासनिक नियमों में यथा विहित ऐसी शास्ति से तथा नियमों में यथा विहित जुर्माने से दण्डित होगा।

30. अधिनियम के कतिपय उपबन्धों के उल्लंघन के लिए शास्ति–

जो कोई इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों का उल्लंघन करता है या इस अधिनियम के अधीन किए गए आदेश या दिए गए निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है जिसके लिए कोई भी शास्ति विशेष रूप से उपबन्धित नहीं की गई है, दोषसिद्धि पर नियमों में विहित राशि से अनधिक जुर्माने के लिए दायी होगा।

31. धारा 26 के अधीन पूर्व दोषसिद्धि के बाद बढ़ाई गई शास्ति–

यदि कोई व्यक्ति जो धारा 26 के अधीन किसी अपराध का सिद्धदोष किया गया है, उसी उपबन्ध के उल्लंघन वाले किसी अपराध का पुनः दोषी पाया गया है द्वितीय तथा प्रत्येक पश्चातवर्ती दोषसिद्धि पर नियमों में विहित राशि से अनधिक जुर्माने या छह मास से अनधिक कारावास के लिए या दोनों के लिए दायी होगा।

32. अपराध का अवप्रेरण.–

जो कोई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को अवप्रेरित करता है या कोई ऐसा अपराध करने का प्रयास करता है, तो वह ऐसा अपराध करने के लिए इस अधिनियम द्वारा या के अधीन उपबन्धित शास्ति से दण्डित होगा।

33. कम्पनियों/आवासी संघ द्वारा अपराध –

(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी/आवासी संघ द्वारा किया गया है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो जिस समय अपराध किया गया था उस समय कम्पनी/आवासी संघ के कारबार का संचालन करने का प्रभारी था तथा के लिए जिम्मेवार या अपराध के दोषी के रूप में समझा जाएगा तथा अपने विरूद्ध कार्यवाही किए जाने के लिए दायी होगा तथा तदनुसार दण्डित किया जाएगाः

परन्तु इस उपधारा की कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबन्धित किसी दण्ड के लिए दायी नहीं बनाएगी यदि यह साबित करता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या कि उसने ऐसे अपराध को करने से रोकने के लिए सभी सम्यक तत्परता बरती थी।

व्याख्याः– इस धारा के प्रयोजनों के लिए :–

(क) ''कम्पनी'' से अभिप्राय है, निगमित कोई निकाय तथा इसमें कोई फर्म या अन्य व्यष्टि संगम शामिल है;

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में ''निदेशक'' से अभिप्राय है, फर्म में कोई भागीदार, संघ के सम्बन्ध में, संघ का सचिव या अध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो।

34. सरकारी विभाग द्वारा अपराध–

जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी, जो स्थल पर अपराध करते समय स्थापना का ठीक कार्यभारी अधिकारी तथा कर्मचारी, द्वारा किया गया है, अपराध के दोषी के रूप में समझा जाएगा तथा अपने विरूद्ध कार्यवाही किए जाने के लिए दायी होगा तथा तदनुसार दण्डित किया जाएगा :

परन्तु इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई बात ऐसे कार्यभारी अधिकारी जैसी भी स्थिति हो को किसी दण्ड के लिए दायी नहीं बनाएगी यदि वह साबित करता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या कि उसने ऐसे अपराध को करने से रोकने के लिए सभी सम्यक तत्परता बरती था।

35. वारण्ट के बिना गिरफ्तारी :–

(1) कोई पुलिस अधिकारी या पदनामित अधिकारी या सशक्त अधिकारी किसी मजिस्ट्रेट से आदेशों के बिना तथा वारण्ट के बिना इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध में किए जाने के युक्तियुक्त रूप से संदिग्ध किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, यदि ऐसा व्यक्ति अपना नाम तथा निवास स्थान का पता देने से इन्कार करता है या ऐसा नाम या निवास का पता देता है जिसका मिथ्या होने के विश्वास के कारण है या यदि विश्वास करने का कारण है कि वह फरार होगा छह मास तक के कारावास से दण्डनीय हो सकता है।

(2) इस धारा के अधीन गिरफ्तार किसी व्यक्ति को, यथाशीघ्र, ऐसी गिरफ्तारी के आधारों को सूचित किया जाएगा तथा गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तथा यात्रा में लगे आवश्यक समय को निकाल कर ऐसी गिरफ्तारी के चौबीस घण्टे की अवधि के भीतर मामले में अधिकारिता रखने वाले निकटतम मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश किया जाएगा तथा कोई भी ऐसा व्यक्ति किसी मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से बाहर अभिरक्षा में विरूद्ध नहीं किया जाएगा।

36. गिरफ्तार व्यक्ति को बन्धपत्र पर रिहा करने की शक्ति–

कोई पुलिस अधिकारी या पदनामित अधिकारी जिसने धारा 36 के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी किया है, मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष या निकटतम पुलिस थाने के कार्यभारी अधिकारी के समक्ष, जब कभी ऐसा अपेक्षित

हो; पेश होने पर अपनी उचित जमानता सहित बन्धपत्र निष्पादित करने पर ऐसे व्यक्ति को रिहा कर सकता है।

37. अपराधों का संज्ञान –

इस अधिनियम के अधीन अपराध संज्ञेय होगा।

अध्याय –V

प्राधिकरण की निधि, लेखे तथा लेखा परीक्षा

38. प्राधिकरण की निधि –

(1) प्राधिकरण के पास उसकी अपनी निधि तथा राशि होगी जो समय–समय पर सरकार द्वारा उसे दी जाए तथा सभी अन्य प्राप्तियां (उपहार, अनुदान, शास्तियां, फीस, उपभोक्ता प्रभार या अन्य के रूप में) प्राधिकरण की निधि में जमा की जाएगी तथा प्राधिकरण के सभी भुगतान उनमें से किया जाएंगे।

तालाब जल तथा मलजल उपचार संयन्त्र का उपचारित प्रवाही के लिए सभी नहरों तथा जलनिकासों से सिंचाई के प्रयोजनों के लिए समय–समय पर जारी अधिसूचना द्वारा सिंचाई विभाग द्वारा प्रभारित जल दरों के अनुसार प्रभारित किया जाएगा। तथापि, प्राधिकरण सरकार के अनुमोदन के बाद विभिन्न शुल्क सहित तालाब जल तथा मलजल उपचार उपचारित प्रवाही के लिए उसके अपने शुल्क ढांचे से उपभोक्ता प्रभार उद्‌गृहीत कर सकता है।

(2) प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के पूरा करने तथा अपने कार्यों का निर्वहन करने के लिए ऐसी राशि जो वह उचित समझे खर्च कर सकता है। ऐसी राशि प्राधिकरण की निधि में से भुगतान खर्च के रूप में समझी जाएगी।

(3) प्राधिकरण यथा विहित ऐसी रीति में निक्षेप कार्य के रूप में स्कीम या प्रोग्राम के लागूकरण के लिए सरकार के किसी अन्य विभाग या किसी अन्य संगठन को निधियां जारी कर सकता है।

(4) प्राधिकरण इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अनुसूचित बैंक या किसी सहकारी या अन्य बैंक में बचत या जमा खाता रख सकता है, प्राधिकरण द्वारा यथा अवधारित अपनी निधि में से ऐसी धन राशि तथा कथित राशि से अधिक कोई राशि ऐसी रीति में निवेश करेगी जो इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित की जाए।

39. ऐसे लेखे प्राधिकरण के ऐसे अधिकारी द्वारा संचालित किए जाएगे जिसे इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों या नियमों द्वारा उस द्वारा प्राधिकृत किया जाए।

39. लेखे तथा लेखा–परीक्षा–

(1) प्राधिकरण यथा विहित ऐसे रूप में तथा ऐसी रीति में उचित लेखे तथा अन्य रिकार्ड रखेगी तथा लेखों की वार्षिक विवरणी तैयार करेगी।

(2) प्राधिकरण के लेखों की राज्य लेखा विभाग या सरकार द्वारा नियुक्त ऐसे लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित किए जाएंगे।

(3) कथित लेखापरीक्षक को प्राधिकरण की पुस्तकों, लेखों, सम्बन्धित वाऊचरों तथा अन्य दस्तावेजों तथा कागजों को पेश करने की मांग करने तथा किन्हीं कार्यालयों का निरीक्षण करने की शक्ति होगी।

(4) प्राधिकरण प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति से नौ मास के भीतर सरकार को लेखापरीक्षित प्रति के साथ लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की प्रति भेजेगी।

(5) सरकार उपधारा (4) के अधीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद यथा शीघ्र उसे राज्य विधान सभा सदन के सम्मुख रखेगी।

40. वार्षिक रिपोर्ट–

प्राधिकरण प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान यथा विहित ऐसे रूप में वार्षिक रिपोर्ट पूर्व वित्त वर्ष के दौरान इस अधिनियम के अधीन अपने कार्यकलापों के पूर्व लेखे देते हुए तैयार करेगी तथा उसकी प्रतियां पूर्व वित्त वर्ष की अन्तिम तिथि से चार मास के भीतर सरकार को भेजी जाएगी तथा सरकार पूर्व वित्त वर्ष की अन्तिम तिथि से नौ मास की अवधि के भीतर राज्य विधान सभा सदन के सम्मुख ऐसी रिपोर्ट रखेगी।

41. बजट–

प्राधिकरण प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान यथा विहित ऐसे रूप में तथा ऐसे समय पर अनुमानित प्राप्ति तथा खर्च दर्शाने वाली आगामी वित्त वर्ष के सम्बन्ध में बजट तैयार करेगा तथा उसकी प्रति सरकार को भेजी जाएगी।

42. प्राधिकरण की उधार लेने की शक्ति–

प्राधिकरण सरकार की सहमति से या सरकार द्वारा उसको दिए गए किसी साधारण या विशेष प्राधिकार की शर्तों के अनुसार इस अधिनियम के अधीन अपने सभी या किन्हीं कार्यों को चलाने के लिए किसी स्रोत से, कर्जे के रूप में या बाण्ड, ऋणपत्र या ऐसे अन्य दस्तावेज जो वह उचित समझे जारी करके धन उधार ले सकता है।

43. संविदा करने का ढंग–

जिला तालाब प्रबन्धन अधिकारी ऐसे मामलों के सम्बन्ध में जिसके लिए वह इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन करने के लिए सशक्त है, प्राधिकरण की ओर से संविदा तथा करार करेगा। वह प्राधिकरण की ओर से ऐसी राशि तक की ऐसी संविदाएं या करार कर सकता है जो समय–समय पर सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

अध्याय –VI

विविध

44. सहायता के लिए सरकार, स्थानीय प्राधिकरणों इत्यादि के अधिकारी/कर्मचारी–

सरकार, किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण या जल उपभोक्ता सोसाईटी या संघ के सभी अधिकारी/कर्मचारी प्राधिकरण को ऐसी मदद तथा सहायता देंगे तथा ऐसी सूचना देंगे जो उसे उसके कार्यों के निर्वहन के लिए अपेक्षित हों तथा प्राधिकरण या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को निरीक्षण तथा जांच के लिए ऐसे रिकार्ड, नक्शे, योजनाएं तथा अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराएगें जो उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों।

45. अधिकारित का वर्जन–

जब कभी धारा 16 के अधीन कोई हथियार, औजार, मशीनरी, यन्त्र, उपकरण, नाव, वाहन या कोई अन्य सम्पति जब्त की जाती है, तो धारा 18 के अधीन जिला तालाब प्रबन्धन अधिकारी या धारा 20 के अधीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी या धारा 21 के अधीन अपील सुनने वाले न्यायालय को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) के अनुसार प्रयोग करने की शक्तियां होंगी या तत्समय लागू किसी अन्य विधि में किसी अधिकारी, न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण को ऐसी सम्पति की अभिरक्षा, कब्जे, सिपुर्दगी, निपटान या वितरण के सम्बन्ध में आदेश करने की अधिकारिता नहीं होगी।

46. अधिकारियों का लोक सेवक होना–

प्राधिकरण का अध्यक्ष, सदस्य तथा अन्य कर्मचारी तथा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा प्रदत्त किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने वाला प्रत्येक अन्य अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थों में लोक सेवक के रूप में समझे जाएंगे।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का सरंक्षरण –

इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन सदभावपूर्वक की गई किसी बात या की गई किसी कार्रवाई के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के विरूद्ध या प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य प्राधिकरण के किसी अधिकारी या कर्मचारी या प्राधिकरण द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या कोई अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

47. डियूटी के बहाने के अधीन किए गए कार्यों के सम्बन्ध में वाद या अभियोजन.–

(1) प्राधिकरण के जिला तालाब प्रबन्धन अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी द्वारा अभिकथित अपराध या गलत अभिकथन के किसी मामले में डियूटि के बहाने के अधीन या इस अधिनियम के अधीन ऐसी डियूटि या प्राधिकार की अधिकता में किए गए किसी कार्य से प्राधिकरण के ऐसे जिला तालाब प्रबन्धन अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी द्वारा किया गया है या जिसमें न्यायालय को यह प्रतीत होगा कि–

यदि किया गया अपराध पूर्वोक्त स्वरूप का था, तो अभियोजन या वाद सरकार की पूर्व स्वीकृति के सिवाए उसके विरूद्ध ग्रहण नहीं किया जाएगा।

(2) यथा पूर्वोक्त ऐसे गैरकानूनी के कारण आशयित वाद के मामले में वाद के लिए आशयित व्यक्ति गैरकानूनी शिकायत के सन्तोषजनक वर्णन सहित आशयित वाद का कम से कम तीन मास का नोटिस अभिकथित अन्यायी को देने के लिए बाध्य होगा जिसमें असफल होने पर ऐसा वाद जारी रखने योग्य नहीं होगा।

(3) अर्जीदावे में बताया जाएगा कि यथा पूर्वोक्त नोटिस प्रतिवादी को तामील किया गया है तथा ऐसी तामील की तिथि बताई जाएगी तथा बताया

जाएगा कि क्या प्रतिवादी द्वारा किसी प्रकार का संशोधन किया गया है। कथित नोटिस की एक प्रति वादी द्वारा उसकी तामील का समय तथा रीति की घोषणा अर्जीदावे के साथ संलग्न की जाएगी।

48. शक्तियों का प्रत्यायोजन –

प्राधिकरण अधिसूचना द्वारा कथित अधिसूना में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे प्रतिबन्ध तथा शर्तों के अध्यधीन प्राधिकरण के ऐसे अधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने के लिए इस अधिनियम के अधीन उसको प्रदत्त किन्हीं शक्तियों को उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है।

49. अन्य विधियों का प्रभाव –

(1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अध्यधीन, इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के उपबन्ध इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति में दी गई उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी नहीं होंगे।

(2) इस अधिनियम की कोई भी बात कोई कार्य करने के लिए जो इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध भी गठित करता है, तत्समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन अभियोजित तथा दण्डित करने से इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में उपबन्धित से अन्यथा किसी उच्चतर दण्ड या शास्ति के लिए ऐसी अन्य विधि के अधीन दायी होने किसी व्यक्ति को नहीं रोकेगी परन्तु किसी व्यक्ति को उसी अपराध के लिए दो बार दण्डित नहीं किया जाएगा।

50. कठिनाई दूर करना–

यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होती है, तो सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों से अनसंगत आदेश द्वारा कठिनाईयां दूर कर सकती है।

51. प्राधिकरण इत्यादि के विरूद्ध वाद का नोटिस–

(1) कोई वाद या अन्य कार्यवाई आशयित वाद या अन्य कार्यवाहियों को तीन मास का लिखित नोटिस दिए बिना इस अधिनियम या इसके अधीन बपए गए नियमों या विनियमों के अनुसरण में की गई किसी बात या किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए प्राधिकरण, प्राधिकरण के अध्यक्ष या किसी सदस्य के विरूद्ध प्रारम्भ नहीं होगी किन्तु ऐसे वाद या उसके कारणों या अन्य कार्यवाही के कारण प्रोद्भवन से छह मास के बाद या पर्याप्त संशोधनों को करने के बाद नहीं होगी।

(2) प्राधिकरण, इसके अध्यक्ष या ऐसे सदस्य, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा किए गए किसी कार्य या किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी कार्य के सम्बन्ध में प्राधिकरण, प्राधिकरण के अध्यक्ष या किसी सदस्यों के विरूद्ध तत्काल या तुरन्त राहत प्राप्त करने के लिए वाद उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित कोई नोटिस तामील किए बिना न्यायालय की अनुमति से उसकी पदीय क्षमता से संस्थित किया जा सकता है किन्तु न्यायालय वाद में राहत बाद में मांगी गई राहत के सम्बन्ध में कारण बताओ का युक्तियुक्त अवसर प्राधिकरण, अध्यक्ष, सदस्य, जैसी भी स्थिति हो, को देने के बाद के सिवाए चाहे अन्तरिम या अन्यथा प्रदान नहीं करेगा।

52. अस्थायी उपबन्ध –

(1) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के गठन तक इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण को प्रदत्त शक्तियां तथा निर्दिष्ट कार्य राज्य सरकार या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा किए जा सकते हैं।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन नियमों या विनियमों के बनाए जाने तक राज्य सरकार नियमों या विनियमों द्वारा उपबन्धित किए जाने

वाले आदेश तथा मार्गदर्शन जारी करके इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित मामलों के लिए उपबन्ध कर सकती है।

53. प्राधिकरण का उपबन्ध –

(1) जहां राज्य सरकार की सन्तुष्टि हो जाती है कि प्रयोजन जिसके लिए प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन स्थापित किया गया था वास्तविक रूप से प्राप्त कर लिया है राज्य सरकार की राय में प्राधिकरण का अस्तित्व निरन्तर भागे चले तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकती है कि प्राधिकरण ऐसी तिथि से जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, विघटित हो जाएगा तथा प्राधिकरण तदनुसार विघटित के रूप में समझा जाएगा।

(2) उक्त तिथि से –

(क) सभी परिसम्पति, निधियां तथा देय जो प्राधिकरण में निहित है या प्राधिकरण द्वारा वसूलीयोग्य है राज्य सरकार में निहित हो जाएंगी या द्वारा वसूलीयोग्य होंगी;

(ख) सभी दायित्व जो प्राधिकरण के विरूद्ध प्रवर्तनीय है राज्य सरकार के विरूद्ध प्रवर्तनीय हो जाएंगी; तथा

(ग) कोई कार्य जो प्राधिकरण द्वारा पूर्ण रूप से नहीं किया गया है राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

54. अन्य विधियों का लागूकरण –

(1) इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय लागू किसी अन्य हरियाणा की विधि या किसी न्यायालय या प्राधिकरण के किसी न्याय निर्णय या फैसले में उससे असंगत किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी प्रभावी होंगे।

(2) सुरक्षित क्षेत्र का भाग रूप बनने वाली भूमि का किसी विधि या किसी हक के परिणामस्वरूप प्रभावी कोई पट्टा, लाईसेंस या कोई दस्तावेज इस सीमा तक संशोधित हो जाएगा तथा उसका कोई प्रभाव नहीं होगाः

परन्तु इस अधिनियम की कोई भी बात संविदात्मक अधिकारों के किसी किराएदार को वंचित नहीं करेगी तथा उसके सिवाए ऐसे अधिकार इस अधिनियम के उपबन्धों से अनसंगत हैं।

55. धार्मिक अधिकारों की व्यावृत्ति–

इस अधिनियम की कोई भी बात धार्मिक महत्व वाली किसी अपील के सम्बन्ध में समाज के किसी वर्ग के किसी धार्मिक अधिकारों को सीमित नहीं करेगी या उसकी सीमित करने का अर्थ नहीं लगाया जाएगा।

56. नियम बनाने की शक्ति–

(1) सरकार, अधिसूचना द्वारा पूर्व प्रकाशन के बाद इस अधिनियम के किन्हीं या सभी प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम, यथाशीघ्र अनुमोदन के लिए मन्त्री परिषद के सम्मुख रखे जाएंगे।

उसके बाद नियम अनुमोदन के बाद ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होंगे या निष्प्रभावी हो जाएंगे।